

सेवा में,

निदेशक,

यू0एल0एम0एम0सी0,

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय: जनपद उत्तरकाशी में अवस्थापित वन विभाग की पौधशाला (जामक रेंज) को हुई क्षति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: (क) आपके आदेश संख्या 554/32/ULMMC/2024-25 दिनांक 19 फरवरी, 2025।

(ख) आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 740/Secy/DM/25 दिनांक 06.02.2025।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र (क) के क्रम में गठित निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 20-22 फरवरी 2025 को ग्राम हीना, जनपद उत्तरकाशी में अवस्थापित वन विभाग की पौधशाला (जामक रेंज) व उसके निकटवर्ती क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है।

उक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या (मूल में) संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(शिवा) 28.2.25

अधिशाली अभियन्ता,
यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून।

स्थलीय निरीक्षण आख्या
ग्राम-हीना, विकासखण्ड- भटवाड़ी, जनपद- उत्तरकाशी
दिनांक 21-22 फरवरी, 2025

उत्तराखण्ड वन विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्रांक-863/3-5, कोटबंगला दिनांक 3.02.2025 जो आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 740/Secy/DM/25 दिनांक 06.02.2025 के माध्यम से इस कार्यालय को सम्बन्धित कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने के आशय से अग्रेषित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुपालन में यू.एल.एम.एम.सी. के आदेश संख्या 554/32/ULMMC/2024-25 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रम में निम्न निरीक्षण दल द्वारा दिनांक 20-22 फरवरी 2025 को ग्राम हीना, जनपद उत्तरकाशी में अवस्थापित वन विभाग की पौधशाला (जामक रेंज) व उसके निकटवर्ती क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया-

निरीक्षण दल :-

1. इं0 शिवा, अधिशासी अभियन्ता, यू.एल.एम.एम.सी., देहरादून।
2. श्री विशाल रस्तोगी, बायो-इन्जीनियरिंग विशेषज्ञ, यू.एल.एम.एम.सी., देहरादून।
3. इं0 सुखचैन सिंह, क्वालिटी कन्ट्रोल इंजीनियर, यू.एल.एम.एम.सी., देहरादून।
4. श्री उत्तम सिंह रावत, रेंजर, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
5. श्री महेश पंवार, फॉरेस्टर, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
6. श्री प्रवीण पंवार, फॉरेस्टर, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
7. श्री पिंगल दास, फॉरेस्टर (आरक्षित वन), उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
8. श्री पुष्कर सिंह रावत, लेखाकार, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
9. श्री खेमराज सिंह चौहान, वन आरक्षी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

ग्राम हीना परिचय :-

ग्राम हीना, विकासखण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी में अवस्थापित है। ग्राम हीना जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से लगभग 20 किमी० दूरी पर (अक्षांश-30.738504, देशान्तर-78.507081, समुद्र तल से ऊँचाई 1329 मी०) स्थित है। ग्राम हीना में लगभग 200 परिवार निवास करते हैं।

प्रश्नगत समस्या:-

विगत वर्ष 31 जुलाई 2024 में हुई अत्याधिक वर्षा के कारण वन प्रभाग की पौधशाला (जामक रेंज) को हुई क्षति।

प्रस्तावित कार्यों का विवरण :-

1. भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी के अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत समस्या के समाधान हेतु पौधशाला (जामक रेंज) के चारों ओर सुरक्षा दीवार निर्माण (90 मी. लम्बी व 1.5 मी. ऊँची) हेतु रु० 7.90 लाख की विभागीय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है। उक्त प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु किसी भी प्रकार का डिजाईन/ले-आउट आदि से युक्त कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

Sukhchait

Vh

2. नर्सरी क्रियाओं आदि हेतु वन विभाग के स्तर से लगभग रू० 16.53 लाख की विभागीय धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गयी है—
3. नर्सरी के ऊपरी भाग में पहाड़ी की ओर से आने वाले 02 बरसाती खाले (हीना-1 व हीना-2) का जल प्रवाह नर्सरी के समक्ष ही होता है, जिससे सम्बन्धित उपचार हेतु भी वन विभाग के स्तर से कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

प्रभावित स्थल/स्थलों की स्थिति :-

स्थलीय निरीक्षण के समय भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी के अधिकारियों द्वारा विगत वर्ष 31 जुलाई में हुई अत्याधिक वर्षा के कारण वन प्रभाग की पौधशाला (जामक रेंज) को हुई क्षति के विषय में विस्तार से 'निरीक्षण समिति' के सदस्यों को अवगत कराया परन्तु सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विधिवत निरूपित प्रस्ताव एवं सम्बन्धित अभिलेख एवं डिजाईन व ड्राइंग आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही निम्न बिन्दुओं पर भी मौखिक सूचना दी गयी—

1. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी द्वारा हीना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण (हीना बाजार से हीना ग्राम तक, लम्बाई 03 किमी०) के अन्तर्गत पहाड़ कटान का कार्य कराया गया है। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग पर कल्वर्ट निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
2. भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी की पौधशाला (जामक रेंज) 0.50 हे० क्षेत्रफल में अवस्थापित है, जिसकी क्षमता 1 लाख पौध की है। इस पौधशाला में 3 से 4 वर्ष तक की आयु के पौधों को रखा जाता है, तदोपरान्त पौध रोपण हेतु निर्गत किया जाता है। विगत वर्ष में हुई अत्याधिक वर्षा के कारण पौधशाला का अधिकांश क्षेत्र व नर्सरी मलबे में दब गया था जिससे अधिकांश पौधों को क्षति हुई थी।
3. नर्सरी के ऊपरी भाग में पहाड़ी की ओर से आने वाले 02 बरसाती खाले (हीना-1 व हीना-2) नर्सरी के समक्ष ही प्रवाहित होते हैं, जिनका जल प्रवाह नर्सरी के समक्ष ही होता है। उक्त खालों में बाढ़ सुरक्षा के आशय से क्रेटवायर से निर्मित चैक डैम लो०नि०वि० द्वारा स्थापित किये गये हैं, जो विगत वर्ष अत्याधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिनके कुछ भाग वर्तमान में भी प्रत्यक्ष एवं स्थिर हैं।
4. उक्त मोटर मार्ग 60-65 डिग्री के पहाड़ी ढलान पर स्थित है, जिस पर पहाड़ी कटान से उत्सर्जित मलबा/ओवर बर्डन (Soil/ Over-burden) भी प्रत्यक्ष है। यह मलबा अस्थिर है तथा वर्षा के साथ स्खलित (Slide) होने की प्रकृति वाला है।
5. नर्सरी के समक्ष उक्त मोटर मार्ग की चौड़ाई लगभग 6 मी. तथा हीना-1 खाले का फॉट लगभग 26.20 मी० है, तथा ऊर्ध्वाधर (Vertical) निकटतम कल्वर्ट तक इसकी लम्बाई लगभग 80-90 मी० है तथा ढलान 60-65 डिग्री का है जिस पर निर्माणाधीन मोटर मार्ग का मलबा/ओवर बर्डन (Soil/ Over-burden) भी प्रत्यक्ष है।
6. भूमि संरक्षण वन प्रभाग, उत्तरकाशी के अधिकारी उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित योजना व संरचनाओं की स्थिति से अनभिज्ञ हैं।
7. सैटेलाइट चित्र के माध्यम से वर्तमान स्थलीय स्थिति स्पष्ट है।

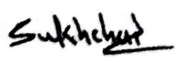
Sukhehar

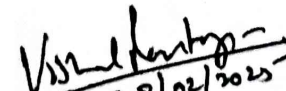
W

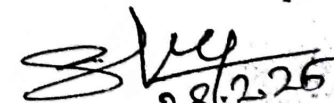
सुझाव :-

1. उक्त मोटर मार्ग पर निर्मित हेयर पिन बैण्ड के मध्य ढलानों एवं मलबे के निस्तारण हेतु चिन्हित डम्पिंग जोन में मृदा स्थिरीकरण हेतु वेजीटेटिव फेंसिंग (वृक्षों एवं अन्य स्थानीय झाड़ियों) एवं अति न्यून सीमेण्ट/सीमेण्ट रहित (गैबियन/क्रेटवायर) को प्राथमिकता देते हुए संरचनाओं को निर्मित/स्थापित किया जाये।
2. ग्राम हीना से पौधशाला की ओर जाने वाले बरसाती खाले (हीना-1 व हीना-2) को ऊपर से नीचे की ओर (Top to Bottom) पद्धति में Double Twisted Gabion से स्टेप ड्रेन के रूप में कल्वर्ट के सेक्शन के अनुसार चैनेलाइज करते हुए उपचारित किया जाये। पूर्व में हीना-1 खाले में निर्मित क्रेटवायर चैक डैम को यथा स्थिति में ही छोड़ दिया जाये जिससे खाले के दोनों ओर मृदा अपरदन/भू-कटाव (Soil erosion) को रोकने में सहायता होगी तथा तलहटी में पौधशाला में सिल्ट/मलबा आने से रोका जा सकता है।
3. बिन्दु संख्या 2 के क्रम में वन विभाग प्रस्ताव तैयार करने हेतु उक्त मोटर मार्ग की कार्यदायी संस्था, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी से सामंजस्य स्थापित कर स्पष्ट किया जाये कि किन्हीं 02 कल्वर्ट के मध्य वर्षा जल निस्तारण सम्बन्धी ड्रेन निर्माण का कार्य उनके कार्यादेश/अनुबन्ध में सम्मिलित है, अथवा नहीं। यदि नहीं है, तो वन विभाग अपने स्तर पर इसे करवाने पर विचार कर सकता है। विशेष ध्यान दिया जाए कि उक्त वर्षा जल निकासी से कृषि अथवा आवासी क्षेत्र को कोई क्षति न पहुंचती हो।
4. अवस्थापित वन विभाग की पौधशाला (जामक रेंज) व उसके निकटवर्ती क्षेत्र में सम्बन्धित सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित प्रस्ताव का विधिवत निरूपण कर सम्बन्धित अभिलेख जैसे-समस्या का आंकलन, सम्भावित निराकरण उपाय, निर्माण लागत का आंकलन, अनुसूची दरें, डिजाइन एवं ड्राइंग, के साथ-साथ उक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित योजना, कल्वर्ट व डम्पिंग जोन आदि संरचनाओं की स्थिति, वन भूमि हस्तांतरण सम्बन्धी अभिलेख एवं पर्यावरणीय स्वीकृति आदि महत्वपूर्ण अभिलेखों को भी संलग्न किया जाये।
5. उक्त स्थल पर सुरक्षात्मक कार्य लागत-लाभ अनुपात (Cost Benefit Ratio) आंकलन के दृष्टिगत किया जाना तर्कसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।
6. हीना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण आदेश में वर्णित शर्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित शर्तों, मलवा निस्तारण हेतु अनुमोदित प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सेटिव जोन के मास्टर जोनल प्लान के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन कराने हेतु लो0नि0वि0 एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया जाए।

उपरोक्त वर्णित बिन्दुवार तथ्यात्मक आख्या सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।


(सुखदेव सिंह)
कॉमिलिटी कंट्रोल इंजीनियर
यू.एल.एम.एम.सी, देहरादून


28/02/2025
(विशाल रस्तोगी)
बायो-इन्जीनियरिंग विशेषज्ञ
यू.एल.एम.एम.सी, देहरादून


28/2/25
(शिवा)
अधिरासी अभियन्ता
यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून